

**FORM-1****(for linear projects)**

**Government of Uttarakhand  
Office of the District Collector Rudraprayag**


**No---****Dated-----****TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN**

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.3325** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (name of user agency) for **Construction of Thapla Nami Tok to Augustya Primari School for Mayali village Motor Road under District Sector** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Mayali gaon Thapla Name Tok** village (s) in **Jakholi** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

**Eucl: As above.**

  
 (Dr. Raghav Langer) Signature  
 (Full name and official seal of the District Collector)

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER  
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)**

**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.**

A meeting of the district level committee of **Rudraprayag** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Dr. Raghav Langar I.A.S** deputy commissioner **Rudraprayag** on date **25.02.2015** at time **3:00 P.M.** at **Rudraprayag** in which application claiming rights in Forest area measuring **0.3325** hect for the Construction of **Thapla Name Tok to Augustya Primary School for Mayali Gaon Motor Road (1.3750 Km)** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **S.D.M.** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : **Rudraprayag**  
Dated:.....

**Deputy Commissioner-cum-Chairman  
District Level Committee**

*Raghav*  
*राघव लंगर*  
*सदर नियमित*

## प्रपत्र-23.2

## परियोजना का नाम :-

जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मयाली के थापलानामी तोक से अगस्त्य उच्च प्राथमिक विद्यालय होते हुए ग्राम मयाली गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1.50 किमी० (वास्तविक लम्बाई 1.375 किमी०)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, :- जखोली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

## उपखण्ड स्तरीय समिति, जखोली।

उपखण्ड जखोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मयाली के थापलानामी तोक से अगस्त्य उच्च प्राथमिक विद्यालय होते हुए ग्राम मयाली गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1.50 किमी० (वास्तविक लम्बाई 1.375 किमी०) (0.1575 हेतु आरक्षित वन भूमि, 0.1750 हेतु सिविल सौथम भूमि, 0.000 हेतु वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.3325 हेतु वन भूमि का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील जखोली) की दिनांक \_\_\_\_\_ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री \_\_\_\_\_, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- |  |              |
|--|--------------|
| 1- श्री <u>लक्ष्मी शर्मा चाहा</u> उपजिलाधिकारी           | अध्यक्ष      |
| 2- श्री <u>मुरली लुप्तन</u> उप प्रभागीय वनाधिकारी        | सदस्य        |
| 3- श्री <u>दिव्यांशु गांतम</u> सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य / सचिव |
| 4- श्रीमती <u>बालाजी देवी</u> बी०डी०सी० क्षेत्र          | सदस्य        |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मयाली के थापलानामी तोक से अगस्त्य उच्च प्राथमिक विद्यालय होते हुए ग्राम मयाली गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1.50 किमी० (वास्तविक लम्बाई 1.375 किमी०) हेतु 0.3325 हेतु वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मयाली के थापलानामी तोक से अगस्त्य उच्च प्राथमिक विद्यालय होते हुए ग्राम मयाली गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1.50 किमी० (वास्तविक लम्बाई 1.375 किमी०) के निर्माण हेतु 0.3325 हेतु वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष लक्ष्मी देवी  
उपखण्ड स्तरीय उप जिलाधिकारी क्षेत्र पंचायत सदस्य समिति  
तहसील-जखोली, जनपद रुद्रप्रयाग

## प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :— जिंभौठ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ममाली के घापला नामी लोक द्वारा उन्हें ज्ञानविद्यालय होते हुए ग्राम ममाली गंव तक जीव सर्वके निर्माण होते हुए लोगों में विद्यालय का बन भूमि हृस्तान्तरण प्रस्ताव, ५०-१.५० KM

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ममाली

तहसील जङ्गोली, जिला खुड़पुराज

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जिला खुड़पुराज उत्तराखण्ड में

घापला-नामी लोक द्वारा उन्हें ज्ञानविद्यालय की भूमि परियोजना के निर्माण हेतु  
(५.१५-७५)

हेतु आरक्षित वन भूमि, ०.१७५० हेतु सिविल सोयम भूमि ०.०००० हेतु, वन पंचायत भूमि  
हेतु (०.३३२५ हेतु) वन भूमि का अर्थात् कुल ०.३३२५ हेतु विषय/संस्था  
के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत  
किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ममाली द्वारा दिनांक २१/१२/१५ को  
सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के  
संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह है कि वन अधिकार  
अधिनियम, 2006 के प्राविधोनों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर  
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट  
किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि  
कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर  
ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित  
किया गया कि ग्राम ममाली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ०.३३२५  
प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर काई आमतिं चहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हेतु

ग्राम सचिव

नोट:- \* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्राप्ति हो रही है, तो  
तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।



## प्रपत्र-23.1

दिनांक 21-12-14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत महाली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1,	श्री सुरेन्द्र संकलाली	✓
2,	सुनील काला	Sunil
3,	जोपाल काला	X
4,	सुरेन्द्र प्रसाद काला	Surendar
5,	केलारा काला	Kelara
6,	राकेश काला	Rakesh.
7,	दीपक काला	Deepak.
8,	सुनेता देवी	Sumita
9,	प्रवाना देवी	Pravana
10,	सुनील नेही	Nehi
11,	रघवीर ठिंड	Raghavir
12,	शुभकर नेही	Subhakar
13,	पद्मभृष्णो काला	Padma Bhushno
14,	निवेद काला	Nived
15,	सदेश्वर काला	Sadeśwar
16,	दिनेश नेही	Dinesh Nehi
17,	रविन्द्र ठिंगवाल	Ravinder



## नाप भूमि का विवरण एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र

### **परियोजना का नाम :-**

जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मयाली के थापलानामी तोक से अगस्त्य उच्च प्राथमिक विद्यालय होते हुए ग्राम मयाली गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1.50 किमी० (वास्तविक लम्बाई 1.375 किमी०)।

जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मयाली के थापलानामी तोक से अगस्त्य उच्च प्राथमिक विद्यालय होते हुए ग्राम मयाली गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1.50 किमी (वास्तविक लम्बाई 1.375 किमी) के मिर्नाण हेतु जो नाप भूमि अर्जित की जानी है, उस हेतु हम नापभूमिधरों को कोई आपत्ति नहीं है तथा हम अपनी भूमि विभागीय दरों पर देने हेतु सहर्ष सहमत हैं।

क्र० सं०	भूमिधरों का नाम	खसरा न०	अर्जित की जानी वाली भूमि का क्षेत्रफल है० में०	हस्ताक्षर
1.	सुरेंद्र काला	109	0.011	Surender kala
2.	दिग्मधर काला	48	0.013	Digmadhur
3.	सुनील काला	124	0.018	Sunil
4.	सुनील नेहरी	130	0.041	Sunil Nehri
5.	सुनील सिंगवाल	74	0.018	Sunil singhawal
6.	रघुवीर नेहरी			Raghuvir Nehri
7.	रमदारु काला	76	0.008	Ramdaru
8.	पद्मभुवन काला	40	0.010	P. Padmabhuvan
9.	हर्षपाली काला	140	0.015	Harspalie
10.	प्राणशंकर काला	109	0.003	Pranshankar kala
11.	नारवीर सिंगवाल			Narveer
12.	पुष्कर नेहरी			Pushkar Nehri

हस्ताक्षर

राजारस्व उपनिरीक्षक

## “समझौता ज्ञापन”

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग (कार्यदायी संरथा)

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नापभूमिधर जिनकी भूमि ग्राम पंचायत मयाली के थापलानामी तोक से अगस्त्य उच्च प्राथमिक विद्यालय होते हुए ग्राम मयाली गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

के बीच

आज दिनांक ..... को निष्पादित किया गया है।

1. यह सहमति हो गई है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समर्त कार्य निष्पादित करेगी।
2. यह सहमति हो गई है कि अपनी वह भूमिधर जिनकी भूमि मार्ग निर्माण / मक डिस्पोजल हेतु लायी जानी है, उनको वर्तमान स्वीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा तथा भूमि का हस्तान्तरण लोक निर्माण विभाग के नाम किया जायेगा।
3. यदि कोई विवाद होता है तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इसके अतिरिक्त स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस अविलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह और वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।

कार्यदायी संस्था की ओर से हस्ताक्षर

अधिशासी अभियन्ता  
प्रा०ख० लो०नि०वि०  
रुद्रप्रयाग

नाम भूमिधर

नाम— १

1. कुरुक्षेत्र काला
2. दिग्गज बरानी
3. श्री लक्ष्मी नगर
4. लक्ष्मी नगर
5. कुरुक्षेत्र लिंगवाल
6. लघुली नगर
7. लक्ष्मी नगर
8. कुरुक्षेत्र लिंगवाल
9. लक्ष्मी नगर
10. यामुष नगर
11. लक्ष्मी नगर
12. यामुष नगर
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.

हस्ताक्षर

पुरुष कृष्ण  
प्रभानी  
श्रील  
लक्ष्मी नगर  
कुरुक्षेत्र लिंगवाल  
Raghv  
प्रभानी  
P. Kalle  
हस्ताक्षर  
यामुष नगर  
लक्ष्मी नगर  
कुरुक्षेत्र लिंगवाल  
पुरुष कृष्ण

पटवारी / ह० मोहर

राम शनि  
गोपाल